प्रेस नोट दिनांक 26.08.2024

जनपद चन्दौली

-----कांवड़ियों से बातचीत कर पुलिस अधीक्षक ने जाना उनका हालचाल।

-----देर रात्रि बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर रात्रि के समय ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मीयो के ड्यूटी प्वॉइंट को पुलिस अधीक्षक ने किया चेक।

----नागरिको मे सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु जनपद चन्दौली पुलिस लगातार कर रही है पैदल गश्त व रात्रि गश्त: सभी कि ड्यूटी भी प्वॉइंट का पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण

----संदिग्ध स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, कस्बे में रात्रि गश्त दौरान कर रही है संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक निर्देश

चन्दौली। पुलिस ने जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा के लिहाज से जिले भर में व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं। श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे जिला के सभी थाना प्रभारियों को कड़ी सतर्कता व चौकसी बरतने के साथ सुरक्षा में अधीक से अधीक पुलिस जवानों को संदिग्ध स्थानों तैनात करने के निर्देश दिये गये है। इन सब के साथ पुलिस संदिग्ध स्थानों पर गस्त के माध्यम संदिग्धों पर नजर रख रही है और आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति वाहनों को चेक कर रही है। सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने भीड़ वाले इलाकों में गश्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा रविवार की देर रात्रि बिना पूर्व सूचना के रात्रि में औचक निरीक्षण कर बिहार बॉर्डर के नौबतपुर से पड़ाव तक कांवड़ियों की ड्यूटी व जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वॉइंट को चेक किया गया साथ ही पुलिसकर्मियों से कांवड़ियों की सुरक्षा व जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानकारी ली।

डायल-112 के वाहनों को किया गया चेक-

तथा डायल-112 के वाहनों और थानों के वाहनों की भी जांच की। एसपी ने कहा कि सावन के महीने में कांवड़ियों की सुरक्षा व आगामी त्योंहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी/ चेहल्लुम के दृष्टिगत को लेकर पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कांवड़ियों का जाना हाल-चाल-

श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने भगवानपुर नहर पुलिया के समीप पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बिहार से वाराणसी की तरफ जा रहे कांवड़ियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना।

प्रेस नोट दिनांक 26.08.2024
थाना चकिया जनपद चन्दौली

➡️एसपी श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

➡️अवैध बालू खनन करने वाले गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही ।

➡️ बुल्लू व चन्द्रभान यादव चोरी से अवैध बालू खनन जैसे अपराधो के है अभ्यस्त अपराधी

➡️इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करते है, अवैध बालू खनन का कारोबार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली एवं थाना चकिया पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं चोरी से अवैध बालू खनन करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र चकिया में चोरी से अवैध बालू खनन करने वाले अभियुक्तगण 1. बुल्लू पुत्र स्व0 रामअधार निवासी छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. चन्द्रभान यादव पुत्र प्यारेलाल यादव निवासी ग्राम मूसाखाड थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरूद्ध थाना चकिया जनपद चन्दौली पर दिनाँक 25.08.2024 को मु0अ0स0 151/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत करने के साथ चोरी से अवैध बालू का खनन कर अपने गिरोह को भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त कराया जाता है। उपरोक्त गैंग के सरगना/ सदस्य पर जनपद के थाना चकिया जनपद चन्दौली में भारतीय वन अधि0 रेंज केस व भारतीय वन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हैं

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर) 1. बुल्लू पुत्र स्व0 रामअधार निवासी छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 52 वर्ष
अपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.सं. 123/2020 धारा 379 भादवि व 26(1)(जी) भारतीय वन अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 64/2016 धारा 147/148/352/353/504/506 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली

3. मु.अ.सं. 102/2017 धारा 147/504/506/353 भादवि व 26(छ) भारतीय वन अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

4. रेंज केस संख्या 48/2014-15 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

5. रेंज केस संख्या 19/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

6. रेंज केस संख्या 24/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

7. रेंज केस संख्या 26/2015-16 दारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2-चन्द्रभान यादव पुत्र प्यारेलाल यादव निवासी ग्राम मूसाखाड थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 123/2020 धारा 379 भादवि व 26(1)(जी) भारतीय वन अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 65/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं. 64/2016 धारा 147/148/352/353/504/506 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली

4. रेंज केस संख्या 48/2014-15 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

5. रेंज केस संख्या 19/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

6. रेंज केस संख्या 24/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

7. रेंज केस संख्या 26/2015-16 दारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-26.08.2024
थाना बलुआ जनपद चंदौली

□थाना बलुआ पुलिस द्वारा चोरी के 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, चोरी का 01 आटो , 01 एक्साइड बैटरी, 01 रिन्च व 03 मोबाइल किया बरामद

पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज महोदय के गहन पर्यवेक्षण में अशोक कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 137/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.कृष्णानन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता नि0 बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2.विकास राय पुत्र स्व0 गोवर्धन राय नि0 सर्वानन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 3.रामबाज राय पुत्र रामू राय नि0 बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली को किया गिरफ्तार। चोरी का 01 आटो , 01 एक्साइड बैटरी, 01 रिन्च व 03 मोबाइल के साथ महुआरी मड़ई चौराहे वहद ग्राम महुआरी से किया गया गिरफ्तार।उपरोक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक-25.08.2024 को थाना स्थानीय पर वादी विजय कुमार यादव पुत्र स्व0 विक्रमादित्य यादव नि0 ग्राम अमिलाई थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी के कोबाटा ट्रैक्टर की बैटरी एक्साइट 12 वोल्ट को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया।उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-137/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर मुकदमा उपरोक्त के माल व अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-
1.कृष्णानन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता नि0 बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.विकास राय पुत्र स्व0 गोवर्धन राय नि0 सर्वानन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.रामबाज राय पुत्र रामू राय नि0 बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरणः-
1.01 आटो न0 UP67BT1744 (चोरी में प्रयुक्त)
2.01 एक्साइड बैटरी (चोरी गया)
3.01 रिन्च
4.03 मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहासः-
1.137/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 धर्मदेव यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4.हे0का0 शिवराज मौर्या थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5.हे0का0 रामकेश शास्त्री थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 26.08.2024
थाना चकिया जनपद चन्दौली

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा पाक्सो एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे चन्दौली के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति व उनके द्वारा गठित टीम ने चकिया थाने में पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना चकिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमन पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को पटेल तिराहे से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वांछित अभियुक्त का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान
1.अमन पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली थाना चकिया जनपद चन्दौली को पटेल तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास का विवरण-
1-मु0अ0सं0 112/24 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अवधेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली
3.हे0का0 प्रवीणचन्द्र सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 26.08.2024
जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।
□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।
□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 02 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 26.08.2024 को ऐसे ही 02 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण
□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त
□सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध
□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावानी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
इसी क्रम में आज दिनांक 26.08.24 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 02 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।